

हिन्दू राष्ट्र- नारियों के लिये नक्क, जानिए कैसे

पूजा पाठ

भाजपा की सरकार आने पर मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे लगा कि अब तो रामराज आ जायेगा और भारत हिन्दू राष्ट्र बन जाएगा।

मैंने सोचा कि हिन्दू राष्ट्र बनाने की शुरुआत मैं ही कर दूँ। बस मैंने उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में पहली हिन्दू अदालत खुलवा दी। यह अदालत 15 अगस्त 2018 को खोली गयी। मैं ही इस हिन्दू अदालत की खोली जज नियुक्त हुई। मैंने सोचा कि मैं मनुस्मृति के आधार पर इस अदालत में न्याय करूँगी। सभी हिन्दू संगठनोंने दिल से इसका स्वागत किया। मैंने अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के पंडित अशोक शर्मा से कहा कि मैं इसका शुभारम्भ यज्ञ करा कर करना चाहती हूँ। पद उहाँने इसे टालते हुए कहा कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने मनुस्मृति पढ़नी शुरू कर दी। इसके अध्याय 11, श्लोक 36 में लिख है-

न वै कन्या न युवतिनांल्पविद्यो न
बालिशः ।

होता स्यादिन्होत्रस्यनातो
नासंस्कृतस्था ॥ ।

(कन्या, स्त्री, अल्प विद्या वाला मूर्ख रोगी, यज्ञोपवीत न रखने वाला, ये सब यज्ञकार्य या दैनिक अग्निहोत्र नहीं कर सकती)

यह सब पढ़कर मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन मैं चुप रही। 2 अक्टूबर 2018 तक, मुझे अदालत के नियम बनाने थे। पर इसमें पहले ही मेरे पास केस आने शुरू हो गये थे।

दुराचारी पति के खिलाफ पत्नी के शिकायत-

मेरे पास पहला केस आया जिसमें एक हिन्दू और तलिता देवी अपने पति के खिलाफ शिकायत कर रही थी कि उसका पति चरित्रहीन है। शराब पीकर उसको गाली देता है और पीटता है। वह उसे छोड़ना चाहती है क्या करें? मैंने उसे दो तीन घंटे इंतजार करने के लिए कहा और मनुस्मृति में संबंधित श्लोक

खोजने लगी। मनुस्मृति के अध्याय पांच, श्लोक- 154 को जब मैंने पढ़ा तो मेरे पसीने छूटने लगे इसमें लिखा था-

विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा
परिवर्जितः ।

उपचार्यः स्त्रिया साध्या सततं
देववत्पतिः ॥ ।

(यदि पति निषुर हो तथा दूसरी स्त्री से संबंध रखता हो अथवा गुणहीन हो, तो भी स्त्री को हमेशा पतिव्रता बन कर उसे देवता की तरह पूजना चाहिए)

मैंने उससे कहा कि तुम्हारा पति कितना भी खराब क्यों न हो, बस तुम उसको देवता की तरह पूजते रहो। उसको कभी छोड़ना नहीं। यह सुनकर उसकी आँखों में आँसू आ गए और वह चुपचाप चली गई।

उसी समय मुझे एक फिल्मी गाना भी याद आ गया – “भला है, बुरा है, कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है.....” मुझे लगा कि यह गाना भी शायद मनुस्मृति से प्रेरित है।

पत्नी को वेश्यालय में बेच रहा था -

एक दिन एक गरीब सी औरत फूलमती, मेरी अदालत में आयी और बताने लगीं, ‘मेरा पति बहुत शराबी और जुआरी है। वह एक दलाल के साथ जुए के खेल में हार गया। अब वह मुझे 10 हजार रुपए में दलाल को बेचना चाहता है। जज मैंडम मुझे बचा लो।’ मैंने उसे अश्वासन देते हुए मनुस्मृति पढ़नी शुरू कर दी। मेरी नजर अध्याय 9 के 45वें श्लोक पर अटक गई। उसका मतलब था कि पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है और बेच सकता है। लेकिन स्त्री को इस प्रकार के अधिकार नहीं हैं। मैंने उस औरत से कहा कि यदि तुम्हारा पति तुम्हें बेचता है तो बिक जाओ। यह शरीर तो मिट्टी का बना है। यह सोच लेना कि मिट्टी बिक गई है। लेकिन यह निर्णय देते समय मैं खुश नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने उसके साथ सही न्याय नहीं किया है। फिर मुझे याद आया कि युधिष्ठिर जो ने भी तो द्रोपदी को जुए में दाव

हिन्दू राष्ट्र - नारियों के लिए नक्क, जानिए कैसे



पर लगा दिया था। लगता है कि उस समय भी मनुस्मृति का शासन चल रहा था।

बाप बेटी को पढ़ने नहीं दे रहा -

दो-तीन दिन बाद एक गरीब औरत चंपा देवी अपनी लड़की रजनी के साथ मेरी अदालत में आई और बोली, ‘मेरा पति रिक्षा चलाता है और शराब पीता है। मैं लोगों के घर में काम करके पैसा कमाती हूँ। मेरी सारी कमाई जो मैं रजनी की पढाई के लिए रखती हूँ उसकी शराब पी जाता है। जिसकी बजह से मैं बेटी की फीस नहीं दे पा रही हूँ मेरी मदद करो।’ मैं मनुस्मृति में इस तरह के अपराध की सजा ढूँढ़ने लगी। पर मुझे अध्याय - 9, श्लोक- 18 में कुछ अजीब सा ही मिला।

नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मं
व्यवस्थितिः ।

निरिन्दिया ह्यमन्त्रास्त्रं स्त्रीभ्योऽनुत्तं
इति स्थितिः ॥ ।

(स्त्रियों को पढ़ने का, पढ़ाने का, वेद-मंत्र बोलने का या उपनयन (जनेऊ) का अधिकार नहीं है)

अध्याय- 8, श्लोक- 416 में कहा गया है-

भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः

स्तृताः ।

यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य
तद्वन्म् ॥

(स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति ही है। वह कभी मालिक नहीं हो सकती है) अब मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। मैंने चंपा देवी को बताया कि लड़कियों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसको घर का काम सिखाओ। तुम्हारी कमाई पर तुम्हारा हक नहीं, तुम्हरे पति का ही हक है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। चंपा देवी पूट-पूट कर रोने लगी। मेरी भी अंखों में आँसू आ गए। मनुस्मृति पढ़ते पढ़ते, मुझे कई और खतरनाक श्लोक दिखाई पड़े जो इस प्रकार से हैं-

पौश्चल्याच्चलच्चित्ताच्च नैस्त्रेह्याच्च

स्वभावतः ।

रक्षिता यत्ततोऽपीह भर्तृष्वेता
विकुर्वते ॥

(अध्याय 9 श्लोक 15) (स्त्री चंचल, हृदयहीन, कुटिल और बेवफा होती हैं)

अविद्वांसं अलं लोके विद्वांसं अपि वा

तो बिना प्रेम विवाह था पर उसमें प्रेम आखिर तक भी नहीं पनप पाया। खदूर साहब के प्रेम में भी खटास पड़ गई थी इसलिए वे भी अभी तक कुंवारे हैं।

अब जब जनता कुंवारों को बोट देगी तो यह सब तो झेलना ही पड़ेगा।’ फिर योगी जी ने कुछ सोचते हुए कहा, ‘तुम औरत हो इसलिए तुम राजनीति नहीं समझोगी। हमारा तो अस्तित्व ही ध्वीकरण से आया है। अब सत्ता बनाये रखने के लिए हिन्दू- मुस्लिम तो करना ही पड़ेगा।’ मैं एकदम सत्र रह गई थी। योगी जी ने पूरी नारी जाति का अपमान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि औरत नासमझ होती है। मैं गुस्से में तुरंत वहां से बापस चली आई। मैं अपनी अदालत में उदास बैठी हुई थी। तभी वहां पर पंडित अशोक शर्मा आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई। मैंने कहा कि अब सत्ता बनाये रखने का काम नहीं हो पाया। शर्मा जी ने कहा, ‘मैं तो पहले ही कह रहा था कि औरत स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। मनुस्मृति में लिखा है’ -

पिता रक्षित कौमारे भर्ता रक्षित

यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्य
अर्हति ॥ ।

(पुत्री, पत्नी और माता युवा या बुद्धा किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए) इतना सुनते ही मेरा खून खौल उठा। अब मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकती थी। मैंने मेरे पर खींच मनुस्मृति की किताब उठाई और पंडित शर्मा के मुंह पर जोर से फेंक कर मारा। उनका चश्मा टूट कर नीचे गिर गया था और वह जोर से हाय हाय करके चिल्लने लगे। मैंने कहा, ‘यह लो अपनी मनुस्मृति और यह लो अपनी जज की कुर्सी हैं।’ मैं मनुस्मृति के हिसाब से न्याय नहीं कर सकती। इसमें सबके लिये बराबर न्याय है ही नहीं। भारत में जो संविधान चल रहा है, वही ठीक है। उसी के चलते ही मैं इतनी सुरक्षित हूँ, नहीं तो अब तक किसी कोठे में पड़ी सड़ रही होती है।’ मैं सोचने लगी कि इंदिरा गांधी भी तो औरत थी। फिर वह कैसे स्वतंत्र रूप से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर पायी। वह एक सफल प्रधानमंत्री रहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान को भी युद्ध में हरा दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही वह प्रधानमंत्री बन पाई थी। उन्होंने मनुस्मृति के नियमों को नजरअंदाज कर दिया था इसीलिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन पाई थी। शायद इसी कारण से भाजपा पंडित नेहरू को पसंद नहीं करती है क्योंकि वे प्रगतिशील विचारों के थे और मनुस्मृति की दिक्यानुसूती विचारधारा को मानने से इनकार करते थे। प्रथम हिन्दू न्यायालय बन्द हो चुका था। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से इसके बारे पृष्ठात लिये एक नोटिस आ गया था। वास्तव में यह न्यायालय गैर-कानूनी ही था।

देश के नागरिकों को संदेश -

यह मेरा खुद का एक दुखद अनुभव था। मेर